MT-16

निरीक्षण प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

थाना कार्यालय : घोघरडीहा

निरीक्षण की तिथि : 23–11–2002

डा0 बी0 राजेन्दर
भा0 प्र0 से0
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी

डा० बी० राजेन्दर, भा०प्र०,से० जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 23-11-2002 को घोघरडीहा थाना का किये गये निरीक्षण से संबंधित अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी ।

परिचय :-

घोघरडीहा थाना की स्थापना सहायक महानिरीक्षक(बी), बिहार, पटना के ज्ञापांक 4081-डी.-2 दिनांक 18-04-1979 एवं आरक्षी उप महानिरीक्षक, दरभंगा के ज्ञापांक 2529 दिनांक 8-9-1979 के द्वारा फुलपरास थाना से घोघरडीहा सहायक थाना के रूप में किया गया है । जिला मुख्यालय से इस थाना की दूरी लगभग 75-80 कि०मी० पूरब में स्थित है ।यह थाना सडक मार्ग एवं रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है । यह थाना घोघरडीहा प्रखंड परिसर में ही अवस्थित है । इस थाना क्षेत्र की कुल जनसंख्या 1, 42, 745 है । इस थाना क्षेत्र का क्षेत्रफल 152.36 हेक्टेयर है । इस थाना के अन्तर्गत 13 पंचायत है तथा 4 सर्किल का थाना है । इस थाना के अन्तर्गत कोई पिकेट नहीं है । इस थाना के सीमावर्त्ती थाना निम्नप्रकार है (1) पूरब में मरौना एवं निर्मली थाना, जिला-सुपौल, (2) पश्चिम में झंझारपुर थाना एवं अंधराठाढी थाना (3) उत्तर में फुलपरास थाना तथा (4) दक्षिण में मधेपुर एवं लखनौर थाना स्थित है । इस थाना क्षेत्र का नाम घोघरडीहा क्यों पड़ा, के संबंध में पूछने पर थाना प्रभारी कोई उत्तर नहीं दे सके, परन्तु निरीक्षण के क्रम में उपस्थित अनुमण्डल पदाधिकारी, फुलपरास ने बताया कि यहाँ एक जमाने में घुंघर (स्नेल) आया था । इसके अतिरिक्त इस थाना क्षेत्रान्तर्गत "डीह" गाँव है, फलस्वरूप प्रचलित कथा के अनुसार इस क्षेत्र का नाम "घोघरडीहा" पड़ा ।

लगभग 28-29 दिन पूर्व सूचना दिये जाने के बावजूद अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, फुलपरास निरीक्षण के समय उपस्थित नहीं पाये गये, जो खेदजनक है । आरक्षी निरीक्षक, फुलपरास निरीक्षण के क्रम में उपस्थित थे । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, फुलपरास से इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर वस्तुस्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे । साथ ही सभी संबंधित को अपने स्तर से यह भी निर्देश देना चाहेंगे कि वरीय पदाधिकारी के निरीक्षण के समय निश्चित रूप से उपस्थित रहना सुनिश्चित करें ।

2- भवन :-

इस थाना का अपना कोई भवन नहीं है । थाना भवन प्रखंड परिसर में अवस्थित है । थाना भवन का निरीक्षण

लगातार.....2/-

किया गया । निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि प्रखंड परिसर में खण्डहल भवन में किसी तरह अवस्थित है । थाना में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी एवं आरक्षियों के रहने के लिए न तो कोई आवास और एवं न ही बैरेक है । इसके अतिरिक्त हाजत एवं मालखाना भी नहीं है । थाना प्रभारी एवं पुलिस पदाधिकारी तथा आरक्षियों ने बताया कि यहाँ अत्यन्त ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है । थानाप्रभारी ने बताया कि प्रखंड परिसर में ही थाना भवन बनवाने हेतु जमीन का आवंटन करने हेतु अंचल अधिकारी, घोघरडीहा से पत्राचार किया गया है । अंचल अधिकारी, घोघरडीहा को आदेश दिया जाता है कि प्रखंड परिसर में ही थानाभवन निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को प्रस्ताव भेजने हेतु प्रतिवेदन अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें ताकि उस पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके । यहाँ थाना भवन बनाना अत्यन्त आवश्यक है ।

3- प्रभार :-

श्री वेंकटेश्वर राम, अ0नि0 दिनांक 02-09-2001 से थानाप्रभारी के रूप में कार्यरत थे । इनके पूर्व श्री सुरेन्द्र कुमार, अ0नि0 थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत थे । अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदनानुसार इस थाना में पदस्थापित थाना प्रभारियों का पदस्थापन सूची तैयार की गयी है, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	संवर्ग	कार्य अवधि
1-	रामदत्त सिंह	अवर निरीक्षक	08-01-1979 से 13-10-1981 तक
2-	बा0पु0वर्णवाल	अवर निरीक्षक	14-10-1981 से 01-12-1982 तक
3-	अजय कुमार	अवर निरीक्षक	03-12-1982 से 03-08-1984 तक
4-	श्याम किशोर प्रसाद	अवर निरीक्षक	08-08-1984 से 15-09-1986 तक
5-	मंजू पाण्डेय	अवर निरीक्षक	17-09-1986 से 12-11-1987 तक
6-	ललन प्रसाद सिंह	अवर निरीक्षक	15-11-1987 से 20-12-1989 तक
7-	सूर्यदेव सिंह	अवर निरीक्षक	21-12-1990 से 25-08-1992 तक
8-	अशोक कुमार	अवर निरीक्षक	02-08-1990 से 27-12-1990 तक
9-	एम0एस0बेग	अवर निरीक्षक	25-12-1990 से 25-08-1992 तक ।
10-	कलामुद्दीन खाँ	अवर निरीक्षक	01-09-1992 से 15-09-1994 तक
11-	सत्य नारायण सिंह	अवर निरीक्षक	16-09-1994 से 20-05-1995 तक

लगातार.....3/-

12-	अरूण कुमार आर्य	अवर निरीक्षक	21-05-1995 से 10-12-1996 तक ।
13-	एम0 रहमान	अवर निरीक्षक	12-12-1996 से 02-06-1997 तक ।
14-	कन्हैया प्रसाद सिंह	अवर निरीक्षक	07-06-1997 से 28-12-1998 तक ।
15-	सुरेन्द्र प्रसाद सिंह	अवर निरीक्षक	01-01-1999 से 25-10-2000 तक ।
16-	सुरेन्द्र कुमार	अवर निरीक्षक	27-10-2000 से 31-08-2001 तक ।
17-	वंकटेश्वर राम	अवर निरीक्षक	02-09-2001 से अद्यतन ।

थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त तालिका के अनुसार कार्यालय प्रकोष्ठ में दीवाल पर थाना पदाधिकारियों का पदस्थापन सूची का बोर्ड टंगवाने की व्यवस्था अविलम्ब सुनिश्चित करें ताकि यह पता चल सके कि कौन-कौन थाना पदाधिकारी इस थाना में कार्यरत रहे हैं ।

4- स्थापना :-

घोरडीहा थाना में स्वीकृत बल की स्थिति निम्नप्रकार से है :-

क्रमांक	पद	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति	अतिरिक्त
1-	अवर निरीक्षक	2	1	1	-
2-	सहायक अवर निरीक्षक	2	2	-	-
3-	हवलदार	1	-	-	-
4-	आरक्षी	6	3	3	-

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अवर निरीक्षक का एक पद एवं आरक्षी का तीन पद रिक्त हैं । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि कृपया समीक्षा कर रिक्त स्थानों के विरूद्ध पदस्थापन की दिशा में अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।

स्वीकृत बल के विरूद्ध पदाधिकारियों/आरक्षियों के पदस्थापन की स्थिति निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पद	नाम	पदस्थापन की तिथि	गृह पता
1-	अवर निरीक्षक	वंकटेश्वर राम	02-09-2001	ग्राम-मोहनपुर, थाना-योवहा, जिला-भोजपुर आरा ।

लगातार....4/-

2-	सहायक अवर निरीक्षक	अरूण कुमार बागे	15-03-2002§प्रति0	ग्राम-नरतण्डा, थाना-मुफस्सील जिला-पश्चिमी सिंहभूम §चाईबासा§झारखंड राज्य ।
3-	सहायक अवर निरीक्षक	इनरमा सिंह	06-02-2002	ग्राम-गुठौसी, थाना-बारून, जिला-औरंगाबाद ।
4-	साक्षर आरक्षी-45	नूरमोहम्मद	04-07-2002	ग्राम-तिरसी, थाना-खोदावन्दपुर, जिला-बेगुसराय ।
5-	आरक्षी-725	रामनन्दन प्र0सिंह	28-08-2001	ग्राम-गोबरौरा, थाना-लौरिया, जिला-बेतिया ।
6-	आरक्षी-517	नागेन्द्र सिंह	24-10-2002	ग्राम-जखुआ, थाना-रिवीलगंज, जिला-छपरा§सारण§ ।

5- पूर्व निरीक्षण :-

घोघरडीहा थाना का पूर्व में निम्नांकित पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है :-

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम	पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1-	श्री उदय शंकर दत्त	सहायक आरक्षी अधीक्षक, झंझारपुर ।	19-11-1979	02-12-1979	10-12-1979
2-	श्री रंजीत सिंह	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	16-02-1981	06-03-1981	01-05-1981
3-	श्री भेशा ठाकुर	अनु0आरक्षी पदा0झंझारपुर	21-07-1981	05-12-1981	-
4-	श्री एम0एच0खाँ	आरक्षी निरीक्षक, फुलपरास	06-03-1982	13-03-1982	30-03-1982
5-	श्री एस0पी0सिन्हा	आरक्षी निरीक्षक, फुलपरास	10-06-1983	11-06-1983	12-06-1983
6-	श्री भेशा ठाकुर	अनु0आरक्षी पदा0झंझारपुर	29-07-1983	12-08-1983	25-09-1983
7-	श्री अरूण चौधरी	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	18-02-1984	20-03-1984	-
8-	श्री के0पी0तिवारी	आरक्षी निरीक्षक, फुलपरास	19-01-1985	10-08-1985	-
9-	श्री एम0ए0काजमी	अनु0आरक्षी पदा0झंझारपुर	31-03-1985	13-04-1985	13-08-1985
10-	श्री निर्मल चन्द्र दौंदियाल	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	03-02-1986	20-02-1986	21-02-1986

लगातार.....5/-

11-	श्री के0पी0तिवारी	आरक्षी निरीक्षक, फुलपरास	17-02-1987	18-02-1987	23-02-1987
12-	श्री निर्मल चन्द्र दौंदियाल	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	27-02-1987	20-03-1987	20-05-1987
13-	श्री अजीत दत्त	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	02-01-1988	15-02-1988	22-11-1988
14-	श्री अखौड़ी नाथप्रसाद	आरक्षी निरीक्षक, फुलपरास	24-12-1988	-	-
15-	श्री प्रभाकर पंचानन भारती	अनु0आ0पद0इन्द्रपुर	24-08-1989	-	28-09-1990
16-	श्री अखौड़ी नाथप्रसाद	आरक्षी निरीक्षक, फुलपरास	07-03-1990	-	09-11-1990
17-	श्री अखौड़ी नाथप्रसाद	आरक्षी निरीक्षक, फुलपरास	31-07-1990	-	09-11-1990
18-	श्री नागेन्द्र कुमार सिंह	आरक्षी निरीक्षक, फुलपरास	26-02-1992	-	29-07-1992
19-	श्री मनमोहन सिंह	सहायक आरक्षी अधीक्षक, इन्द्रपुर ।	04-03-1992	-	24-07-1992
20-	श्री एम0 रहमान	अनु0आ0पदाधिकारी, इन्द्रपुर	22-12-1992	23-12-1992	27-07-1993
21-	श्री नागेन्द्र कु0सिंह	आरक्षी निरीक्षक, फुलपरास	26-03-1993	01-05-1993	27-07-1993
22-	श्री पी0आर0के0नायडु	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	03-08-1993	10-08-1993	31-12-1993
23-	श्री डा0पी0के0चौधरी	अनु0आ0पद0फुलपरास	23-02-1994	28-02-1994	14-11-1994
24-	श्री रामलखन प्रसाद	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	31-01-1995	15-02-1995	10-10-1995
25-	श्री सीता राम	आरक्षी निरीक्षक, फुलपरास	20-07-1995	22-07-1995	21-12-1995
26-	श्री देवेन्द्र ठाकुर	अनु0आ0पद0फुलपरास	30-12-1995	-	-
27-	श्री विपीन बिहारीमिश्रा	अनु0आ0पद0फुलपरास	19-09-1997	11-10-1997	20-12-1997
28-	श्री शाहाब अख्तर	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	22-01-1998	30-01-1998	15-09-2000
29-	श्री विपीन बिहारी मिश्रा	अनु0आ0पद0फुलपरास	04-03-1999 08-03-1999	11-03-1999	15-10-2000
30-	श्री उमाकान्त बैठा	आरक्षी निरीक्षक, फुलपरास	31-03-1999	31-03-1999	-
31-	श्री सत्य नारायण पासवान	आरक्षी निरीक्षक, फुलपरास	14-01-2001 15-01-2001	17-01-2001	-
32-	श्री हरेन्द्र कुमार	अनु0आ0पद0फुलपरास	16-02-2001	22-06-2001	31-07-2001
33-	श्री हरेन्द्र कुमार	अनु0आ0पद0फुलपरास	22-08-2001	24-08-2001	05-10-2001
34-	श्री सत्य नारा0पासवान	आरक्षी निरीक्षक, फुलपरास	24-01-2002	27-01-2002	16-04-2002

लगातार.....6/-

निरीक्षण टिप्पणी के तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2002 में आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी/अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, फुलपरास द्वारा इस थाना का निरीक्षण नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त किसी भी अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा इस थाना का निरीक्षण नहीं किया गया है, जो उचित नहीं है । बिहार पुलिस हस्तक के नियम-32 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "अनुमण्डल पदाधिकारियों को आरक्षी के संबंध में वही सब शक्तियाँ प्राप्त है, जो अन्य अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों को है । हर अनुमण्डल पदाधिकारी का कर्त्तव्य है कि वे अपने अधिक्षेत्र के भीतर सभी थानों का वार्षिक निरीक्षण करें । अतएव, अनुमण्डल पदाधिकारी, फुलपरास को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले सभी थानों का वार्षिक निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें । यद्यपि अनुमण्डल पदाधिकारी, फुलपरास द्वारा निरीक्षण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जो सराहनीय है ।

निरीक्षण टिप्पणी से संबंधित रक्षी संचिका का अवलोकन किया । यह 4 भौलूम में संधारित है जिसमें सभी निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा दिये गये निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी चिपकायी गयी है । यह प्रथा ठीक नहीं है । नियमानुसार सभी निरीक्षी पदाधिकारियों के लिए अलग-अलग पंजी का संधारण होना चाहिए एवं अनुपालन प्रतिवेदन भी उसी में साँटना चाहिए । पंजी का अवलोकन किया । पंजी की स्थिति दयनीय है, जिसे अविलम्ब ठीक कराने का निर्देश थाना प्रभारी को दिया गया।

निरीक्षण टिप्पणी की उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि आरक्षी निरीक्षक, फुलपरास द्वारा इस थाना का क्रमशः दिनांक 24-12-1988, 31-03-1999, 04-03-1999 को किये गये निरीक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है, जो खेदजनक है । इसके अतिरिक्त अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, फुलपरास द्वारा दिनांक 30-12-1995 को इस थाना का किये गये निरीक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है, जो चिन्ताजनक है । नियमानुसार निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेज दिया जाना चाहिए । थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि भविष्य में इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ।

2- थाना दैनिकी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-166 के तहत फार्म सं0- 15 में थाना दैनिकी संधारित किया जाना है । इस थाना में यह पंजी संधारित है एवं अद्यतन है । यह दो प्रतियों में तैयार की जाती है । कार्बन प्रति प्रतिदिन आरक्षी निरीक्षक के पास भेज दी जाती है । आरक्षी निरीक्षक द्वारा एक महीने का थाना दैनिकी संकलित कर महीने के अन्तिम दिन आरक्षी अधीक्षक को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेज दी

लगातार...7 /-

थाना दैनिकी में हर दो घंटे की महत्वपूर्ण सूचनाओं को अंकित किया जाता है । यह कार्य प्रतिदिन 8-00 बजे पूर्वाह्न से शुरू होकर अगले दिन 8-00 बजे पूर्वाह्न तक अर्थात 24 घंटे के चक्र में चलता रहता है । थाना दैनिकी में थानाक्षेत्र में जो भी घटनाएँ घटित होती है, उसकी प्रविष्टि की जाती है । इसके अतिरिक्त थाना के पदाधिकारी जब बाहर जाते हैं, उक्त तिथि को कोई हाजत में रहा है अथवा नहीं, उक्त तिथि का मौसम कैसा रहा, थाना में कितनी नगद राशि है, कोई विदेशी थाना क्षेत्र में आया अथवा नहीं, आदि की प्रविष्टि की जाती है । यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है । इसे थाना का दर्पण (**Mirror of the Police Station**) भी कहा जाता है । थाना दैनिकी के मौलूम संख्या 12034 के क्रमांक 120330 से 120400 का अवलोकन किया । पंजी सही ढंग से संधारित की जा रही है ।

7- फिरारी पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम -118 के तहत फार्म -16 में फिरारी पंजी संधारित करना है, जो संधारित है । यह दो भाग में होता है । भाग-1 में अपने थाना के अपराधकर्मी का नाम एवं भाग-2 में दूसरे थाना के अपराधकर्मी का नाम अंकित किया जाता है । थाना प्रभारी द्वारा निरीक्षण हेतु तैयार किये गये प्रतिवेदन में फिरारियों के बारे में कोई चर्चा नहीं की है । क्या इस थाना अन्तर्गत कोई फिरारी नहीं है ? थाना प्रभारी जाँच कर प्रतिवेदन अविलम्ब दें । साथ ही फिरारियों के गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित करें । साथ ही इस पंजी का मिलान डी0सी0बी0 शाखा, मधुबनी से नियमित रूप से कराना सुनिश्चित करें ।

8- गिरफ्तार अपराधियों की पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-171 के तहत फार्म संख्या-31 ए में इस पंजी का संधारण किया जाना है । थाना प्रभारी ने बताया यह पंजी संधारित है एवं अक्टूबर, 2002 तक अद्यतन है । परन्तु थाना प्रभारी द्वारा यह नहीं बताया गया कि माह-जनवरी 2002 से अद्यतन कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि वर्ष 2002 में माह-जनवरी से निरीक्षण की तिथि तक कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, के संबंध में आँकड़ा अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । अपराधियों की गिरफ्तारी से अपराधियों का मनोबल गिरता है एवं विधि-व्यवस्था के संधारण में आसानी होती है ।

लगातार.....8/-

9-रिटर्न ऑफ अनएक्सक्यूटेड वारंट :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-109 के तहत फार्म सं0-50 में इस पंजी को संधारित करना है, जो संधारित है । इस पंजी के अनुसार दिनांक 22-11-2002 तक कुल 19 वारंट एवं 10 कुर्की जब्ती तामिला हेतु लंबित है । लंबित वारंट/कुर्की की विवरणी निम्नवत है :-

पूर्व से लंबित		वर्त्तमान माह में प्राप्त		वर्त्तमान माह में निष्पादित		कुल लंबित	
वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की
19	10	-	-	12	02	07	08

पदाधिकारीवार लंबित वारंट/कुर्की की विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	वारंट	कुर्की
1-	अ0नि0 बी0राम		
2-	त0अ0नि0 ए0के0बागे	03	03
3-	त0अ0नि0 इनरमा तिंह	04	05
	कुल :-	07	08

उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभी भी 7 वारंट एवं 8 कुर्की निष्पादन हेतु लंबित हैं, जो गम्भीर विषय है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सभी लंबित वारंट/कुर्की का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

10-रजिस्टर ऑफ आर्म्स लाइसेंस :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 130 के तहत फार्म संख्या-25 में यह पंजी संधारित करना है, जो संधारित है । पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस थाना के अन्तर्गत कुल 38(अड़तीस) शास्त्र अनुज्ञाप्तिधारी हैं, जिसकी विवरणी निम्नप्रकार है :-

लगातार.....9/-

§क§ डी०बी०बी०एल०	–	33
§ख§ एस०बी०बी०एल०	–	03
§ग§ राइफल	–	01
§घ§ रिवाल्वर	–	×
§ड.§ ओ०बी०एस०	–	01
कुल :-		38

पंजी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि थाना शस्त्र पंजी का मिलान जिला शस्त्र पंजी से नहीं कराया गया है । बिहार शस्त्र अधिनियम -48 के तहत वर्ष में एक बार इस पंजी का मिलान जिला शस्त्र पंजी से करवाया जाना है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का मिलान एक सप्ताह के अन्दर जिला शस्त्र पंजी से कराकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें ।

11-हाजत पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के भौलुम-11 के नियम-239 ए फार्म संख्या-43 ए में यह पंजी संधारित किया जाना है, जो संधारित है । पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माह-अक्टूबर, 2002 तक इसे अद्यतन किया गया है । यह एक महत्वपूर्ण पंजी है । राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अथवा न्यायालय द्वारा किसी मामले में इस पंजी से संबंधित जब कोई प्रतिवेदन की मांग की जाती है, तब इस पंजी का महत्व बढ़ जाता है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का नियमानुसार सभी कॉलम को सही ढंग से संधारित करना सुनिश्चित एवं पंजी अद्यतन रखें ।

12- तख्ती नं०- 1 :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम-76 के तहत तख्तियों का संधारित करना है । तख्ती नं०-1 सरकारी सम्पत्तियों से संबंधित होती है । तख्ती नं०-1 का निरीक्षण किया । निरीक्षण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस तख्ती की स्थिति ठीक नहीं है । इस तख्ती का मिलान आरक्षी केन्द्र, मधुबनी से दिनांक 22-11-2002 को किया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि तख्ती का संधारण नियमानुसार करें ।

लगातार....10/-

13- तहती नं0-2 :-

थाना में पदस्थापित हर पंक्ति के पदाधिकारियों/आरक्षियों का नाम/पता इस तहती में अंकित किया जाताहै, जिसे विधिवत संधारित किया गया है ।

14- तहती नं0-3 :-

इस तहती में विस्फोटक अधिनियम के अधीन अनुज्ञाप्ति प्राप्त कारखानें, भंडार और दूकानों की सूची रखी जाती है । थाना प्रभारी ने बताया कि इस थानान्तर्गत विस्फोटक अनुज्ञाप्ति प्राप्त भंडार का कोई मामला नहीं है ।

15- तहती नं0-4 :-

इस तहती में आयुध, गोला-बारूद तथा कारखाने की सूची रखी जाती है । थानाप्रभारी नेबताया कि इस थाना में कोई भी आयुध फैक्ट्री या भंडार नहीं है ।

16- तहती नं0-5 :-

इस तहती में विष-अधिनियम के अधीन अनुज्ञाप्ति-प्राप्त दूकानों की सूची रखी जाती है । थाना प्रभारी ने बताया कि इस थानाक्षेत्र में विष-अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कोई दूकान नहीं है ।

17- तहती नं0-6:-

इस तहती में उत्पाद शुल्क और अफीम अधिनियमों के अधीन अनुज्ञापत्र प्राप्त दूकानों की सूची रखी जाती है । तहती के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस थानान्तर्गत 5(पाँच) शराब की दूकानें, क्रमशः 3(तीन) देशी शराब की दूकाने, एक विदेशी शराब की दूकान तथा एक मसालेदार देशी शराब की दूकान है, जिसका विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	अनुज्ञाप्तिधारी का नाम/पता	अनुज्ञाप्ति संख्या	दूकान का प्रकार	दूकान का स्थल
1-	श्री संजय कुमार पे0 स्व0राजकुमार, वार्ड नं0-13, नगर थाना, मधुबेना ।	66ए-25/02	विदेशी शराब की दूकान	घोघरडीहा बाजार
2-	श्री दिनेश प्रसाद पे0 श्री राधे प्रसाद सा0-पटेलनगर, थाना-खगड़िया, जिला-खगड़िया ।	66ए-20/2002	देशी शराब की दूकान	घोघरडीहा बाजार ।

लगातार......11/-

3-	श्री दिनेश प्रसाद पे०श्री राधे प्रसाद, सा०-पटेलनगर, थाना-खगड़िया, जिला-खगड़िया ।	66ए-12/2002	मसालेदार देशी शराब की दुकान ।	घोघरडीहा बाजार ।
4-	श्री दिनेश प्रसाद पे०श्री राधे प्रसाद, सा०-पटेलनगर, थाना-खगड़िया, जिला-खगड़िया ।	-	देशी शराब की दुकान	हटनी(घोघरडीहा)
5-	श्री सत्य नारायण प्रसाद, पे०-स्व० सरयुग प्रसाद, सा०- पटेलनगर, थाना-खगड़िया, जिला-खगड़िया ।	-	देशी शराब की दुकान	तुलापतगंज(घोघरडीहा)

सहती के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि सहती में अनुज्ञप्ति की प्रति नहीं रखी गई है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि उत्पाद अधीक्षक, मधुबनी से सम्पर्क स्थापित कर अनुज्ञप्ति की छायाप्रति प्राप्त कर सहती में चिपकाना सुनिश्चित करें

18- सहती नं०-7 :-

इस सहती में लंबित अन्वेषण काण्डों से संबंधित पदाधिकारियों का नाम अंकित किया जाता है, जो अद्यतन है ।

19- सहती नं०-8 :-

इस सहती में जुआ, गेमिंग सेन्टर आदि के संबंध में सूचना अंकित की जाती है । थानाप्रभारी ने बताया कि इस थाना क्षेत्र में गेमिंग अथवा जुआ का कोई अड्डा नहीं है ।

20- सहती नं०-9 :-

थानाक्षेत्र में लगने वाले हाट बाजार एवं मेले की सूचना इस सहती में अंकित की जाती है । सहती अद्यतन है एवं लगने वाले हाट बाजार एवं मेले की तिथिवार सूचना निम्नवत है :-

क्रमांक	हाट का नाम	मेला लगने का स्थान एवं समय	बाजार लगने का दिन
1-	घोघरडीहा	दशहरा एवं कालीपूजा	बुधवार एवं शनिवार
2-	संग्राम	मुहर्रम एवं जन्माष्टमी	बुधवार एवं शनिवार
3-	अररिया	-	रविवार एवं बृहस्पतिवार
4-	बिस्टौल	-	सोमवार एवं शुक्रवार
5-	नवानी	चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर	-

लगातार.....12/-

6-	खरौआ	दशहरा पूजा के अवसर पर	-
7-	परसाधाम	शिवरात्री मेला	-
8-	चिकना	दुर्गापूजा एवं मुहर्रम के अवसर पर	वृहस्पतिवार एवं रविवार
9-	हटनी	दुर्गापूजा के अवसर पर	मंगलवार एवं शनिवार
10-	डेवढ़	दुर्गापूजा के अवसर पर	-
11-	धनखोर परसा	दुर्गापूजा के अवसर पर	-
12-	बनरहुल्ला	दुर्गापूजा के अवसर पर	-

21- सहती नं0-10 :-

इस सहती में थाना क्षेत्र के पंचायतों के अध्यक्षों, मुखियों और ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं प्रखंड समितियों के अध्यक्षों के नाम लिखे जाते हैं। सहती के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सहती में दर्ज सूचना अधूरी है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि उक्त सहती में थानाक्षेत्र के विधायक/सांसदों का भी नाम अंकित करें एवं सूची को हमेशा अद्यतन रखें।

22- सहती नं0-11 :-

इस सहती में नियम-152 के तहत निर्धारित प्रपत्र में सूचना संधारित की जाती है। सहती संधारित है एवं अद्यतन है। इस सहती में थाना के अन्दर हाक-डाक एवं शोरगुल की सूचना अंकित की जाती है।

23- सहती नं0-12 :-

इस सहती में दागी व्यक्तियों की सूची रखी जाती है। इस सहती के अनुसार इस थाना में कुल दागियों की संख्या-15 है, जिनमें ए श्रेणी के 13, बी श्रेणी के एक एवं सी. श्रेणी के एक दागी हैं। कुल 15 दागियों की सूची तैयार की गई है, जिसकी विवरणी निम्नवत है :-

क्रमांक	दागी संख्या	नाम	पिता का नाम	पता
1-	ए/209	सहदेव सदाय	सोना सदाय	सा0-विसहरिया, थाना-घोघरडीहा
2-	ए/212	गोल्हू राय	मगन राय	सा0-विसहरिया, थाना-घोघरडीहा
3-	ए/213	महावीर साहु	सुखदेव साहु	सा0-विसहरिया, थाना-घोघरडीहा
4-	ए/214	हरिलाल मोची	राम मोची	सा0-विसहरिया, थाना-घोघरडीहा

लगातार.....13/-

5-	ए/8	राधे कामत	भागवत उर्फ ठुमरी कामत	सा0-घोघरडीहा बाजार, घोघरडीहा
6-	ए/224	सुलेमान नदाफ	कारी नदाफ उर्फ छलहरू नदाफ	सा0-सिसवरिया, थाना-घोघरडीहा
7-	ए/210	बुचई राम	निरस राम	सा0-सिसवरिया, थाना-घोघरडीहा
8-	ए/215	बोखदा मुसहर	सोनाम मुसहर	सा0-सिसवरिया, थाना-घोघरडीहा
9-	ए/216	मुसहरू साहु	डोमी साहु	सा0-सिसवरिया, थाना-घोघरडीहा
10-	ए/106	अशर्फी सिंह	सीरी सिंह	सा0-डेवढ़, थाना-घोघरडीहा
11-	ए/195	पुरन मुखिया	ममाई मुखिया	सा0-डेवढ़, थाना-घोघरडीहा
12-	ए/208	मोहन ठाकुर	हरिवंश ठाकुर	सा0-खरौआ, थाना-घोघरडीहा
13-	ए/7	सुरेश मिश्र	उमाकान्त मिश्र	सा0-घोघरडीहा, थाना-घोघरडीहा
14-	बी/5	रामदत्त मंडल	बाबूजी मंडल	सा0-सिखरिया, थाना-घोघरडीहा
15-	सी/33	गोईता नट	मनसूर नट	सा0-किसनीपट्टी, थाना-घोघरडीहा ।

थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त दागियों के ऊपर कड़ी निगरानी रखें । हो सकता उपर्युक्त दागियों में से कुछ की मृत्यु हो गयी हो, फलस्वरूप उसकी छानबीन कर सहती से नाम हटाने का प्रस्ताव उचित माध्यम से आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को भेजना सुनिश्चित करें ।

24- सहती नं0-13 :-

इस सहती में सीमावर्त्ती थानों के सक्रिय अपराधियों की सूची रखी जाती है। सहती का अवलोकन किया गया । परन्तु सीमावर्त्ती थानों के सक्रिय अपराधियों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि सीमावर्त्ती थानों के सक्रिय अपराधियों की सूची एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करानासुनिश्चित करें एवं उन पर कड़ी निगरानी भी रखें ।

25- सहती नं0-14 :-

इस सहती में आधकारियों को भेजी जाने वाली विवरणियाँ रखी जाती है । सहती के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला दण्डाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी को इस थाना से कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है । जिला स्तर पर आयोजित जनतादरबार में बहुत से मामले थाने से ही संबंधित होते हैं । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करें एवं भविष्य में इसका अनुपालन सुनिश्चित करें ।

लगातार......14/-

26-तख्ती नं0-15 :-

इस तख्ती में थाना का मानचित्र रखा जाता है । मानचित्र संधारित है । बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 131 के अनुसार रखे जाने वाले अपराध मानचित्र के अतिरिक्त मजबूत किरमिची अस्तर वाला एक छपा हुआ, थाना मानचित्र भी टंगा रहेगा, जिस पर भट्ठियाँ, शराब की दूकानें, सार्वजनिक घाट, चौकीदारी यूनियन की सीमायें, सीमावर्त्ती आरक्षी थानों के चित्र काट-काटकर चिपकाये जायेंगे । नेपाल या अन्य देश के सह-सीमस्थ हों, तो इन देशों के सह-सीमस्थ थानों का मानचित्र चिपकाये जायेंगे । इस अनुदेश का अनुपालन नहीं किया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी हस्तक के नियम 131 के तहत एक सप्ताह के अन्दर आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

27- तख्ती नं0-16 :-

इस तख्ती में सरकारी अधिसूचना की प्रति, थाना नं0, गाँवों की संख्या, जनसंख्या, क्षेत्रफल आदि रखी जाती है । इस तख्ती के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 18-4-1979 को इस थाना का सृजन हुआ था । थाना का नं0-171 है, इस थाना का क्षेत्रफल 1, 38, 367 हेक्टेयर है, इस थाना क्षेत्र की कुल जनसंख्या 1, 42, 745 है एवं गाँवों की कुल संख्या 51 है ।

28-सब इन्सपेक्टर नोटबुक :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 357 के तहत फार्म संख्या-75 बी. में सब इन्सपेक्टर नोट बुक संधारित करना है । थानाप्रभारी द्वारा यह नोट बुक विहित प्रपत्र में संधारित नहीं करके निजी डायरी में संधारित किया जा रहा है । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से विहित प्रपत्र प्राप्त कर इसे संधारित करना सुनिश्चित करें ।

29- खतियान इन्सपेक्सन रजिस्टर पार्ट -I :-

यह विहित प्रपत्र में संधारित है । परन्तु वर्ष 1997 के बाद वर्ष 2002 में बनाया गया है, जो उचित नहीं है । इस खतियान में थाना में प्रतिवेदित कांडों की विवरणी अनुसंधानकर्त्तावार अंकित की गई है, जो अद्यतन है । यह आरक्षी निरीक्षक द्वारा लिखा जाता है ।

30-खतियान इन्सपेक्सन रजिस्टर पार्ट-II :-

यह विहित प्रपत्र में संधारित है । इसमें मासिक रूप से पदाधिकारीवार केस रिपोर्ट, अनुसंधानकर्त्ता का नाम, अभिलेख का

लगातार.....15/-

निष्पादन किस तरह करना है आदि आरक्षी निरीक्षक द्वारा लिखा जाता है । आरक्षी निरीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में विस्तृत विवरणी एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

31- सी०डी०पार्ट-I :-

इस रजिस्टर में दागी(डोसियर्स) का नाम पंजीकृत की जाती है। इस थानान्तर्गत कितने दागी हैं, के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि दागी व्यक्तियों का नाम एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । थाना प्रभारी ने बताया कि इस पंजी का मिलान 22-11-2002 को करा ली गयी है एवं दागियों पर निगरानी रखी जा रही है ।

32- सी०डी०पार्ट- II :-

इस पंजी में सम्पत्ति से संबंधित अपराध के मामले दर्ज किये जाते हैं । जब किसी व्यक्ति के विरूद्ध अपराध साबित होजाता है तो उसे इस पंजी में सूचीबद्ध कर दिया जाता है । इसमें दूसरे थाना के केस लाल स्याही से एवं अपने थाना का केस काला स्याही से अंकित किया जाता है । पंजी संधारित है एवं अद्यतन है ।

33- सी०डी०पार्ट-III :-

इस पंजी में थाना क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण विषयों पर यथा धार्मिक, कृषि , साम्प्रदायिक, भू-विवाद, राजनैतिक मामलों पर गोपनीय अभ्युक्तियाँ वर्षवार अंकित की जाती है । थानाप्रभारी ने बताया कि यह पंजी दो भाग में संधारित होता है । भाग-I में थाना क्षेत्र में होने वाले उत्सव, पूजा एवं इस अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण के तौर-तरीके का उल्लेख किया जा रहा है । यह पंजी थाना प्रभारी द्वारा मार्च-अक्टूबर तक अद्यतन लिखा गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि पंजी को अद्यतन रखें ।

34- अल्फाबेट अनुक्रमणी पंजी :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है एवं अद्यतन है । इस पंजी के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के चरित्र सत्यापन का मामला थाना में आता है, तो उसे अल्फाबेट अनुक्रमणी पंजी से नाम देखकर सी०डी०पार्ट-II से जानकारी ली जाती है । इस पंजी में उन्हीं व्यक्तियों का नाम रहता है, जो किसी मामले में संलिप्त हैं । थाना प्रभारी ने बताया कि इस थाना में चरित्र सत्यापन का कोई मामला लंबित नहीं है ।

लगातार....16/-

35- एम0ओ0 रजिस्टर :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम-357 के तहत फार्म 76 ए. में एम0ओ0 रजिस्टर संधारित की गई है । इस रजिस्टर में उन अपराधियों के अपराध करने की शैली जैसे लूटपाट किया गया अथवा नहीं, लाठ-डंडा से मारपीट किया गया था या नहीं, उनके द्वारा जाते समय क्या-क्या बोला गया आदि की प्रविष्टि की जाती है । पंजी संधारित है एवं अद्यतन है ।

36- अप्राकृतिक मृत्यु :-

अप्राकृतिक मृत्यु पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है । विगत पाँच वर्षों का अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित आँकड़ा निम्नवत है :-

वर्ष	सर्प दंश से	जहर खाने से	पानी में डूबने से	बिजली से	आग से	फाँसी से	विविध	योग
1998	-	-	-	-	-	-	2	2
1999	-	1	-	-	2	-	-	3
2000	2	1	-	-	1	1	-	5
2001	-	-	-	-	-	-	2	2
2002	-	1	-	-	-	-	1	2

लंबित अप्राकृतिक मृत्यु अभियोग की विवरणी निम्नवत है :-

क्रमांक	यू0डी0 काण्ड संख्या	तिथि	अनुसंधान पदाधिकारी का नाम	लंबित का कारण
1-	यू0डी0काण्ड संख्या 2/01	30-11-2001	स0अ0नि0 ए0के0 बागे	अन्त्यपरीक्षण प्रतिवेदन हेतु ।
2-	यू0डी0काण्ड संख्या 1/02	19-04-2002	स0अ0नि0 इनरमा सिंह	अन्त्यपरीक्षण प्रतिवेदन हेतु ।
3-	यू0डी0काण्ड संख्या 2/02	20-09-2002	स0अ0नि0 इनरमा सिंह	अन्त्यपरीक्षण प्रतिवेदन हेतु ।

37- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की पंजी :-

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के लिए एक पंजी संधारित है । थाना प्रभारी ने बताया कि इस थानान्तर्गत दो मामला दर्ज किया गया है । काण्ड संख्या 211/2000 दिनांक 5-5-2000 का अनुसंधान पूर्ण है । काण्ड संख्या 68/2002 में आरोप पत्र संख्या 60/2002 दिनांक 30-12-2000 को समर्पित किया जा चुका है ।

लगातार.... 17/-

थानाप्रभारी को निर्देश दिया गया कि इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त शिकायत/आवेदन पत्र प्राप्त होते ही त्वरित गति से कार्रवाई करें ताकि इस अधिनियम के बारे में आम लोगों को जानकारी मिल सके एवं पुलिस प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े। जिला स्तर पर प्रत्येक बृहस्पतिवार को आयोजित "जनता दरबार" में अक्सर लोगों द्वारा शिकायत की जाती है कि थानाप्रभारी द्वारा उनका मामला दर्ज नहीं किया जाता है, उन्हें समुचित मदद नहीं की जाती है। विदित हो कि घोघरडीहा थाना क्षेत्र अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है एवं आये दिन विभिन्न समाचार-पत्रों के माध्यम से भूमिहीन एवं भूमिपतियों के बीच तनाव की सूचनाएँ मिलती रहती है। थाना प्रभारी इस ओर विशेष ध्यान देंगे।

38- रजिस्टर ऑफ आर्म्स डिपोजिटेड इन पुलिस स्टेशन :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 323 के तहत फार्म संख्या -67 में यह पंजी संधारित करना है। थाना प्रभारी ने बताया कि इस थानान्तर्गत एक भी शस्त्र जप्त/जमा नहीं है। यह फुलपरास थाना में संधारित होता है।

39- दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन :-

पुलिस हस्तक के नियम 59(क) के तहत फार्म संख्या 6 ए. में यह प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है। परन्तु विभिन्न थानों के निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि आरक्षी निरीक्षकों द्वारा यह प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी को नहीं भेजा जा रहा है, जो उचित नहीं है। नियम 59(क) में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि "प्रपत्र संख्या 6ए. में नित्य प्रतिवेदन प्रेषित किया जायगा, उन केसों का विवरण रहेगा, जो प्रतिदिन दर्ज होते हैं। आरक्षी निरीक्षक इन प्रतिवेदनों को अनुमण्डल पदाधिकारी तथा अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी को प्रेषित करेगा, जो इन्हें क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट तथा आरक्षी अधीक्षक को अग्रसारित करेंगे। आरक्षी निरीक्षक, फुलपरास अंचल को निर्देश दिया जाता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, फुलपरास को नियमित रूप से दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

40- गुण्डा पंजी :-

आरक्षी हस्तक के नियम 1318(क) के अनुसार अपराध शैली के अनुसार गुण्डों का वर्गीकरण किया गया है, जिसके अनुसार निम्नप्रकार के गुण्डा होते हैं :-

लगातार.....18/-

§1§ शराबी §2§ दबाव डालकर पैसा ऐंठने वाले §3§ मादक पदार्थों का अवैध कारबार करने वाले §4§ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले §5§ काला बाजारी करने वाले §6§ दंगाई §7§ मुकदमेबाज §8§ तोड़-फोड़ करने वाले §9§ सम्प्रदायवादी §10§ छात्रों को भड़काने वाले §11§ स्त्रियों एवं लड़कियों का व्यापार करने वाले §12§ जुआड़ी §13§ छीन-झोर करने वाले एवं §14§ रेलगाड़ियों और बसों पर बदमाशी करने वाले ।

थानाप्रभारी ने बताया इस पंजी का मिलान आरक्षी अधीक्षक कार्यालय, मधुबनी से कराया गया है ।

41- अप्राथमिकी पंजी :-

इस थाना में अप्राथमिकी पंजी सही ढंग से संधारित नहीं है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाताहै कि अप्राथमिकी पंजी के लिए अलग से पंजी खोलकर उसे संधारित करना सुनिश्चित करें । विगत पाँच वर्षों का अप्राथमिकी आँकड़ा निम्नप्रकार है :-

वर्ष	107	113/116	144/145	133	182/211	188	290	109
1998	83	18	17	02	01	02	-	-
1999	52	03	06	-	-	-	-	-
2000	81	-	08	-	-	-	-	-
2001	102	-	08	-	-	-	-	-
2002 §22-11-02 तक§	83	-	20	-	-	-	-	-

थानाप्रभारी ने बताया कि इस पंजी में संज्ञेय अपराधों का काण्ड प्रतिवेदित किया जाता है । प्राथमिकी पंजी बुक नं0 2890501 से 2890532 तक काण्ड दर्ज किया गया है । बुक संख्या 2890532 में काण्ड संख्या 176/2002 दिनांक 6-11-2002 धारा 341/323/324/379/427/504/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत काण्ड अंकित किया गया है । वादी रामलखन माली पे0 स्व0 कनकीर मा सा0-अररिया, थाना-घोघरडीहा, जिला-मधुबनी के फर्द बयान के आधार पर अभियुक्त बुधन माली पे0 फूलो माली §2§ रामअवतार माली §3§ राम प्रताद माली §4§ शंभू माली तीनों पेशरान बुधन माली §5§ बिरजू माली पे0 भीखन माली §6§ विनोद माली पे0 बिरजू माली §7§ जीतन मण्डल पे0 स्व0 रामधीन मंडल सभी सा0 अररिया, थाना-घोघरडीहा, जिला-मधुबनी के विरूद्ध नाद से

लगातार...19/-

झोपड़ी को उखाड़ कर फेकने लगे । वादी द्वारा रोकने पर अभियुक्तों ने तप्पड़-थप्पड़ से मुक्का से मारपीट किये तथा जखमी कर दिये। अभियुक्त रामअवतार माली ने वादी की पत्नी लोनावती देवी के गले से चाँदी का हसूली ले लिया । इस काण्ड के अनुसंधानकर्त्ता थाना प्रभारी स्वयं हैं तथा काण्ड अनुसंधान अन्तर्गत है ।

42- अपराध आँकड़ा :-

घोघरडीहा थानान्तर्गत विगत पाँच वर्षों का अपराध आँकड़ा निम्नप्रकार है :-

वर्ष	हत्या	डकैती	लूट	गृहभेदन	चोरी	दंगा	अभ्युक्ति
1998	02	-	-	03	05	13	
1999	03	-	-	04	03	05	
2000	01	-	-	04	06	08	
2001	-	-	-	-	03	03	
2002 (22-11-02 तक)	02	01	-	-	05	08	

43- चौकीदारी पंजी :-

पुलिस हस्तक के नियम-13 के तहत विहित प्रपत्र में चौकीदारी पंजी का संधारण किया गया है । यह पंजी 19 कॉलमों में संधारित है, जिसमें चौकीदारों की उपस्थिति रोमन अंक में दर्ज की जाती है तथा अनुपस्थिति लाल स्याही से इटालियन में लिखा जाता है । इस पंजी का अवलोकन किया । पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पंजी में कहीं-कहीं अपलेखन किया गया है, परन्तु उसके बगल में लघु हस्ताक्षर नहीं किया गया है । इसे संदेहास्पद माना जा सकता है । थाना प्रभारी भविष्य में इसका ध्यान रखेंगे ।

चौकीदारों/दफादारों के स्वीकृत बल एवं पदस्थापन की स्थिति निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत बल	पदस्थापित बल	रिक्ति	अतिरिक्त
1-	दफादार	04	03	01	-
2-	चौकीदार	39	37	02	-

लगातार...20/-

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चौकीदार का दो पद एवं दफादार का एक पद रिक्त है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि दफादार/चौकीदार के रिक्त पदों पर भर्त्ती हेतु नियमानुसार योग्य व्यक्तियों का प्रस्ताव उचित माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें।

स्वीकृत बल के अनुसार पदस्थापित दफादार/चौकीदारों की सूची पूर्ण पता सहित निम्नवत है :-

क्रमांक	सर्किल संख्या	पदनाम	नाम/पिता का नाम	गाँव का पता	महाल/गाँव का नाम
1-	—	दफादार	जागेश्वर मंडल पे0 कोनाई मंडल	नवानी, थाना-घोघरडीहा	-नवानी, परसा धाम, सिरखरिया, खरौआ, अररिया, बिस्टौल, संग्राम, तुलापतगंज, पिपरौलिया, सोहपुर, धेमुरा, परमानन्दपुर।
2-	..	6/2 चौकीदार	बिन्देश्वर खतवे पे0 सुभाई खतवे	नवानी, थाना-घोघरडीहा	बिस्टौल, छोटी नवानी।
3-	..	6/3 चौकीदार	सिंघेश्वर खतवे पे0 भुवन खतवे	अररिया, थाना-घोघरडीहा	पिपरौलिया, अररिया।
4-	..	6/4 चौकीदार	चन्देश्वर पासवान पे0 आनंदी पासवान।	डुमरियाडीटोला (संग्राम), थाना-घोघरडीहा।	तुलापतगंज संग्राम, डुमरियाडी टोला।
5-	..	6/5 चौकीदार	रामधारी पासवान पे0 स्व0 फकीरा पासवान।	चिरकुट्टा, थाना-घोघरडीहा	चिरकुट्टा, संग्राम, तुलापतगंज, मौआही टोला।
6-	..	6/6 चौकीदार	सीताराम खतवे पे0 देवलाल खतवे।	पिपरौलिया, थाना-घोघरडीहा।	पिपरौलिया।
7-	..	6/7 चौकीदार	पिताम्बर मंडल पे0 छकोरी खतवे।	सिरखरिया, थाना घोघरडीहा।	सिरखरिया।
8-	..	6/8 चौकीदार	रहमान धुनिया पे0 फुद्दीधुनियाँ	रघुनाथपुर, थाना-घोघरडीहा	खरौआ
9-	..	6/9 चौकीदार	मो0 अजीम पे0 मो0 हुसैन	शाहपुर संग्राम, थाना घोघरडीहा।	चिरकुट्टा, सिंगदाहा।
10-	..	6/10 चौकीदार	सौदी सदाय पे0 सुकन सदाय	परसाधाम, थाना-घोघरडीहा	परसाधाम, शाहपुर।
11-	—	दफादार-7	नन्दलाल यादव पे0 स्व0 जयकृष्ण यादव	रहीटोल, थाना-घोघरडीहा	रही टोल, पिरोजगढ़, सिसाठ, दासपट्टी, चिकना, किरतपुर, बेहरारी, रामनगर, रहुआडी,

लगातार....21/-

12-	सर्किल नं0-ग्या	7/1 चौकीदार	सरयुग साहु पे0 किसन साहु	बेहरारी, थाना-घोघरडीहा	बेहरारी
13-		7/2 चौकीदार	बालेश्वर पासवान पे0 हजारी पासवान ।	किरतपुर पिपरौलिया, थाना-घोघरडीहा ।	किरतपुर पिपरौलिया
14-		7/3 चौकीदार	कारी पासवान पे0 मकुन्द पासवान ।	केवटना, जयपट्टी, थाना घोघरडीहा ।	केवटना, जयपट्टी
15-		7/4 चौकीदार	रामप्रसाद पासवान पे0 सुन्दर पासवान ।	केवटना, जयपट्टी, थाना घोघरडीहा ।	जयपट्टी
16-		7/5 चौकीदार	जवाहर राय पे0 सुखदेव राय	विसहरिया, थाना घोघरडीहा ।	विसहरिया
17-		7/6 चौकीदार	चेथरू पासवान पे0 दोहराय पासवान ।	जयपट्टी, थाना-घोघरडीहा	दासपट्टी, गुलरियाटोल
18-		7/7 चौकीदार	महेन्द्र मंडल पे0 प्रभू मंडल	पिकना, थाना-घोघरडीहा	पिकना
19-		7/8 चौकीदार	मोजि पासवान पे0 स्वरूप पासवान	विशौल, थाना-घोघरडीहा	विरौल, भीरहर, सिहरिपट्टी
20-		7/9 चौकीदार	उपेन्द्र यादव पे0 यदुरान यादव	रहीटोल, थाना-घोघरडीहा	रहीटोल, विक्रमरही, ब्रहमोत्तरा, रामनगर, नोनियाही ।
21-		7/10 चौकीदार	शंभू पासवान पे0 बन्दुपासवान	तिलाठ, थाना-घोघरडीहा	तिलाठ ।
22-		7/11 चौकीदार	नवल किशोर यादव पे0 कपिलेश्वर यादव ।	पिरोजगढ़, थाना-घोघरडीहा	पिरोजगढ़ ।
23-	"	दफादार	नथुनीकामत पे0 भोला कामत	महोरवा, थाना-घोघरडीहा	महोरवा, पिपरा, धावघाट, कमलपुर, अमही, मैनही, बनरझुल्ला, हटनी, करहिर, नौवाबाखर, सरौती, त्रिपट्टी भलवा ।
24-		8/1 चौकीदार	मो0 मोस्तीम पे0 धाकीर मोहम्मद ।	नौवाबाखर, थाना-घोघरडीहा	नौवाबाखर, त्रिपट्टी देवनाथपट्टी, सरौती ।
25-		8/2 चौकीदार	तीलाराम पासवान पे0 मोजि पासवान ।	मैनही, थाना-घोघरडीहा	मैनही, अमटी, हरनाही, बनरझुल्ला ।
26-		8/5 चौकीदार	कली अहमद पे0 मो0 मनीर	महोरवा थाना-घोघरडीहा	महोरवा

लगातार....22/-

27-	8/6 चौकीदार	मो0 उसमान पे0	शत्रुपट्टी, थाना-घोघरडीहा	शत्रुपट्टी ।
28-	8/7 चौकीदार	मो0 शमशेर आलम पे0 मो0 इश्तियाक	नौवाबाहर, थाना-घोघरडीहा	हटनी, धनवतबरही ।
29-	8/8 चौकीदार	दिनेश यादव पे0 रामरूप यादव	पावघाट, थाना-घोघरडीहा	पावघाट ।
30-	9/1 चौकीदार	युगेश्वर मंडल पे0 स्व0 अशर्फी मंडल ।	परसा, थाना-घोघरडीहा	धनखोर, उजियाती
31-	9/2 चौकीदार	देवेन्द्र पासवान पे0 मुनेश्वर पासवान ।	घोघरडीहा, थाना-घोघरडीहा	घोघरडीहा बाजार
32-	9/3 चौकीदार	यशोधर खतवे पे0 बुद्धर खतवे	परसा, थाना-घोघरडीहा	परसा, महतीपट्टी
33-	9/4 चौकीदार	शिव कुमार पासवान पे0 नथुनी पासवान ।	रतनसारा, थाना-घोघरडीहा	रतनसारा
34-	9/5 चौकीदार	बच्चे लाल पासवान पे0 स्व0 धनलाल पासवान ।	केलहा, डेवढ़, थाना-घोघरडीहा	डेवढ़
35-	9/6 चौकीदार	प्रमोद कु0 पासवान पे0 विन्देश्वर पासवान ।	बसहा, थाना-घोघरडीहा	किसनीपट्टी
36-	9/8 चौकीदार	बद्री खतवे पे0 सर्जीत खतवे	परसा, थाना-घोघरडीहा	महतीपट्टी, निधा
37-	9/9 चौकीदार	सोनाई मंडल पे0 अमृत मंडल	बगराहा, थाना-घोघरडीहा	बगराहा
38-	9/10 चौकीदार	मो0 उसमान पे0 मुन्नी धुनियाँ	बहुआरी, थाना-घोघरडीहा	बहुआरी ।
39-	9/11 चौकीदार	पूरन पासवान पे0 कुसयाही पासवान ।	घोघरडीहा, थाना-घोघरडीहा	घोघरडीहा
40-	6/1 चौकीदार	हरिहर खतवे पे0 शंकर खतवे	नवानी, थाना-घोघरडीहा	नवानी, बड़की टोल ।

44- चौकीदार डिसपोजीशन पंजी :-

इस पंजी में चौकीदारों की नियुक्ति संबंधी विवरणी अंकित की जाती है । पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पंजी संधारित है एवं अद्यतन है ।

45- मालखाना पंजी :-

इस पंजी में थाना के प्रदर्श एवं कुर्की-जप्ती की गई सामानों की विवरणी अंकित की जाती है । थानाप्रभारी ने बताया

लगातार....23/-

तत्कालीन थाना प्रभारी अ०नि० कल्पनाथ सिंह के जिम्मे मालखाना का प्रभार था । उनका स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप अभी तक मालखाना का प्रभार उन्हें नहीं सौंपा गया है । श्री कल्पनाथ सिंह, सम्प्रति सरसोपाही थाना में कार्यरत हैं । थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि मालखाना का प्रभार सौंपने हेतु पत्राचार किया गया है, परन्तु श्री सिंह अभी तक प्रभार नहीं सौंपे हैं । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि मालखाना का प्रभार दिलाने हेतु अपने स्तर से समुचित कार्रवाई करना चाहेंगे । निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1979 से लेकर वर्ष 2000 तक कुर्की के रूप में 33, लावारिस के रूप में 2 एवं प्रदर्श के रूप में 96, कुल 131 मद मालखाना में जमा है । मालखाना में रखी गई सम्पत्तियों के निष्पादन हेतु समुचित कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि बहुत से काण्डों में न्यायालय का आदेश पूर्व में पारित हो गया होगा । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इसकी छानबीन कर मालखाना में जप्त सामानों के निस्तार की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें ।

46- मालखाना रिलीज आर्डर पंजी :-

मालखाना रिलीज आर्डर पंजी में सक्षम न्यायालय अथवा दण्डाधिकारी के आदेश से जो भी जप्त सामग्री, प्रदर्श, मालखाना से मुक्त किया जाता है, उक्त आदेश की प्रति इस पंजी में पेस्ट कर रखी जाती है । यह पंजी दो भागों में होती है । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का संधारण सही ढंग से करना सुनिश्चित करें ।

47- अनुक्रमणी पंजी :-

इस थाना में कितने तरह की पंजियाँ अथवा संचिकाएँ है, के बारे में पूछने पर थानाप्रभारी द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर अनुक्रमणी पंजी तैयार कर थाना में उपलब्ध सभी पंजियों/संचिकाओं को संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । अगर आवश्यक हो तो इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से भी मार्गनिर्देश प्राप्त किया जा सकता है ।

48- लंबित विशेष काण्डों की विवरणी :-

इस थानान्तर्गत लंबित विशेष प्रतिवेदन काण्डों की विवरणी निम्नवत है :-

क्रमांक	काण्ड संख्या/तिथि	धारा	अनुसंधानकर्त्ता का नाम	लंबित रहने का कारण
1-	112/05-12-1991	147/148/350/427/143/ भा०द०वि०	अ०नि०बी०राम	विधान परिषद के …

लगातार... 24/-

2-	113/ 05-12-1991	147/148/350/427/504 भा0द0वि0	अ0नि0 बी0 राम	विधान परिषद के जाँचहेतु
3-	311/30-12-1993	147/148/448/323/386 भा0द0वि0	अ0नि0 बी0एन0सिंह	चार्ज हेतु ।
4-	154/25-05-1997	287/420 भा0द0वि0	स0अ0नि0 इनरमा सिंह	गिरफ्तारी हेतु ।
5-	16/05-02-2002	395 भा0द0वि0	अ0नि0 बी0राम	गिरफ्तारी हेतु ।
6-	68/18-04-2002	302/201/498भा0द0वि0	अ0नि0 बी0राम	गिरफ्तारी हेतु ।
7-	141/01-09-2002	147/148/149/323/324/307/353 भा0द0वि0 एवं 11 जूआ अधिनियम ।	स0अ0नि0 इनरमा सिंह	गिरफ्तारी हेतु ।
8-	170/25-10-2002	364/365/367/368/120(बी) भा0द0वि0	अ0नि0 बी0राम	तदैव

49- लंबित अविशेष काण्डों की विवरणी :-

इस थानान्तर्गत लंबित अविशेष प्रतिवेदित काण्डों की विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	काण्ड संख्या/तिथि	धारा	अन्वेषणकर्त्ता का नाम	लंबित का कारण
1-	168/21-10-2002	147/148/323/324/379/307/504/34 भा0द0वि0	स0अ0नि0 इनरमा सिंह	पर्यवेक्षण टिप्पणी हेतु ।
2-	167/21-10-2002	147/148/323/324/307/504/34 भा0द0वि0	स0अ0नि0 इनरमा सिंह	पर्यवेक्षण टिप्पणी हेतु ।
3-	172/31-10-2002	144/379/427/506 भा0द0वि0	स0अ0नि0 इनरमा सिंह	पर्यवेक्षण एवं गिरफ्तारीहेतु
4-	176/06-11-2002	341/323/324/379/427/504/34 भा0द0वि0	अ0नि0 बी0 राम	पर्यवेक्षण टिप्पणी हेतु ।
5-	160/03-10-2002	147/148/149/323/324/379/307/504 भा0द0वि0	स0अ0नि0 ए0के0बागे	गिरफ्तारी हेतु ।

उपर्युक्त आँकड़े के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि लंबित विशेष काण्डों की विवरणी में वर्ष 1991 का दो मामला, वर्ष

लगातार... 25/-

1993 का एक मामला एवं वर्ष 1997 का एक मामला अभी तक लंबित चला आ रहा है । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है पुराने सभी मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें एवं वर्त्तमान वर्ष में प्रतिवेदित लंबित विशोध/अविशोध कांडों का भी निष्पादन शीघ्र करना सुनिश्चित करें ।

50- सम्मान गार्ड :-

निरीक्षण हेतु पहुँचने पर सम्मान गार्ड कवायद द्वारा अधोहस्ताक्षरी को सलामी दी गयी । सभी आरक्षियों का टर्न आउट अच्छा रहा ।

51-रोजनामचा पंजी :-

रोकड़ बही पंजी संधारित है । यह दो भाग में लिखा जाता है । भाग-I में कैदी मद में प्राप्त राशि एवं कैदियों के भोजन कराने में व्यय का विवरण अंकित किया जाता है । पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भाग -I में कैदी के भोजन से संबंधित कुल राशि 3,742/-(तीन हजार सात सौ ब्यालीस)रूपया शेष है । भाग-II में पदाधिकारियों एवं कर्मियों के वेतन भत्ता संबंधी माह-अक्टूबर, 2002 का कुल राशि 41253/-(एकतालीस हजार दो सौ तिरपन)रूपया प्राप्त हुआ है, जिसे वितरण किया जा रहा है । इस मद में कोई भी राशि शेष नहीं है ।

52- पत्राचार :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 912 के तहत प्रपत्र संख्या 119 में प्राप्त पत्रों की पंजी एवं प्रपत्र-आ. में निर्गत पत्रों की पंजी संधारित करना है, जिसमें (1) न्यायालय से संबंधित (2) विभाग से संबंधित (3) सीमावर्त्ती थाना से संबंधित एवं (4) आम जनता से संबंधित पत्रों को संधारित करना है । थाना प्रभारी ने बताया सभी प्रकार की पंजियाँ संधारित कर ली गई है एवं पंजी अद्यतन है ।

53- कान्सटेबुल नोट बुक :-

इस थाना में यह पंजी संधारित नहीं है, जिसे अविलम्ब संधारित करने का निर्देश थानाप्रभारी को दिया गया ।

54- निजी दैनिकी :-

थानाप्रभारी द्वारा आरक्षी हस्तक के नियम 64,87,448,626-1297-बी. के तहत निजी दैनिकी संधारित किया गया है।

लगातार...26/-

अधिकारी द्वारा कई थाना का निरीक्षण किया गया है, परन्तु किसी भी थाना में इस तरह की पंजी विधिवत नियमानुसार संधारित नहीं है। निजी दैनिकी के भौलूम 18717 के क्रमांक 1870160 से लेकर 1870170 तक का अवलोकन किया। पंजी विधिवत संधारित की गयी है एवं अद्यतन है।

55- थाना प्रभारी के कर्त्तव्य :-

थाना प्रभारी से पूछने पर उनका कर्त्तव्य क्या है, स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया गया जबकि उन्हें प्रशिक्षण अवधि में ही इसकी जानकारी दे दी जाती है। फिर भी विशेष जानकारी हेतु बिहार पुलिस हस्तक के नियम 81{क} में थाना प्रभारी का क्या कर्त्तव्य है, उसकी विवरणी निम्नप्रकार है :-

{क} अधिक्षेत्र वासियों की गहरी जानकारी तथा उनका सहयोग और सहानुभूति प्राप्त करना।
{ख} अपराध और अपराधियों, संदिग्ध व्यक्तियों और अजनबियों के संबंध में चौकीदारों से यथारीति और अविलम्ब ब्यौरे प्राप्त करना।
{ग} अपराधियों तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखना।
{घ} अपराध निर्देशिका तथा निगरानी अभिलेखों को यत्न से रखना तथा मनन करना।
{ड.} सघन गश्त की व्यवस्था करना।
{च} अपजीविका के क्षेत्रों में आयोजन रिपोर्ट उपस्थापित करना।
{छ} सीमावर्त्ती थानों के अधिकारियों के साथ अधिक से अधिक सहयोग करना।

थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त निर्देशों के साथ-साथ अन्य निर्देशों का अनुपालन सख्ती से करें।

56- अन्यान्य :-

{क} जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में पी0पी0 द्वारा प्राय: शिकायत की जाती है कि अनुसंधानकर्ता की डायरी के अभाव में बहुत सारे मामलों में एक्वूटल का सामना करना पड़ता है। अत: थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि गवाह प्रोडक्सन के लिए जो सम्मन भेजे जाते हैं, उसका तामिला निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कराकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे एवं केस डायरी की मांग किये जाने पर ससमय उपलब्ध करायेंगे।

लगातार....27/-

(ख) एस0पी0पी0 द्वारा जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में जानकारी दी जाती है कि अनुसंधान प्रतिवेदन के अभाव में काण्डों के निष्पादन में कठिनाई होती है । अतएव, थानाप्रभारी लंबित काण्डों के अनुसंधान का कार्य त्वरित गति से निष्पादित कराते हुए प्रतिवेदन समर्पित करेंगे ।

(ग) नीलाम-पत्र वादों में निर्गत डी0डब्लू0 एवं बी0 डब्लू0 का सख्ती से कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रमादी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके एवं राजस्व की वसूली में प्रगति लाई जा सके ।

(घ) भूमि विवाद का स्थायी समाधान निकालें । अतिक्रमण हटाने/शांति-व्यवस्था कायम करने में प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर , नियमित सम्पर्क कर अपेक्षित सहयोग दें ।

(च) गरीब एवं असहाय व्यक्ति/अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखें एवं उनके साथ सहृदयता से पेश आयें ।

(छ) भूमि विवाद/नीलाम-पत्र वाद से संबंधित मामलों के निष्पादन में दफादार/चौकीदारों को माह में एक बार अंचल अधिकारी के पास अवश्य भेजें ताकि उनके सहयोग से प्रमादी व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित कर राशि की वसूली की जा सके ।

(ज) चौकीदारी परेड का निरीक्षण के दौरान सभी चौकीदारों/दफादारों को निर्देश दिया गया कि गाँव के बारे में, असामाजिक तत्वों के बारे में एवं अन्य गतिविधि के संबंध में थाना को निश्चित रूप से सूचना दें । साथ ही नीलाम-पत्र वाद में सम्बन्धित राशि की वसूली में अंचल अधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करें ।

57- निष्कर्ष :-

कुल मिलाकर इस थाना का कार्य-कलाप संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है । थाना अभिलेख/पंजियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है । किसी भी पंजी में पृष्ट का सत्यापन नहीं है । थाना प्रभारी को अत्यन्त मेहनत करने की आवश्यकता है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि थाना में संधारित सभी पंजियों में पृष्टों का सत्यापन पंजी के प्रथम पृष्ट पर अवश्य करें ताकि पारदर्शिता बनी रहे । इसके अतिरिक्त निरीक्षण के क्रम में जो त्रुटियाँ पाई गई हैं, उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निर्देश के आलोक में समय-सीमा के अन्दर दूर करना सुनिश्चित करें । यदि इस निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों का अनुपालन समय-सीमा के अन्दर किया जाता है तो निश्चित रूप से थाना के कार्य-कलाप मे गुणात्मक सुधार आ सकता है ।

ह0/-डी0राजेन्दर,
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

लगातार....28/-

ज्ञाप संख्या 382/जी० /सामान्य, मधुबनी, दिनांक 20 दिसम्बर, 2002 ई०।
प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना को सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना को सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि गृह सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि आरक्षी महानिरीक्षक (प्रशासन), बिहार, पटना को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि आरक्षी महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि आरक्षी उप महानिरीक्षक, दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी, फुलपरास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, फुलपरास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि आरक्षी निरीक्षक, फुलपरास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि थाना प्रभारी, घोघरडीहा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Rajendra 19.12.2002
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।